



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-23022026-270406
CG-TL-E-23022026-270406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 902]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 2026/फाल्गुन 2, 1947

No. 902]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 2026/PHALGUNA 2, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
शुद्धिपत्र

सिकंदराबाद, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 946(अ).—भारत सरकार, रेल मंत्रालय की वह अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को का.आ. 4180(अ), का.आ. 4181(अ) तथा का.आ. 4182(अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई है, जो “आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में समपारों के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण” से संबंधित है, के संबंध में रेल मंत्रालय एतद् द्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्र, यथा नीचे विवरणानुसार, जारी करता है:

क्र.सं.	इस रूप में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ा जाए
1	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को का.आ. 4180(अ), एतद् द्वारा, “कोडूरु- अनंतराजपेट के बीच कि.मी. 178/7-9 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 85 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमय्या जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को का.आ. 4180(अ), एतद् द्वारा, “कोडूरु-अनंतराजुपेट के बीच कि.मी. 178/7-9 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 85 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप

	करती है।	में अधिसूचित करती है।
2	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को का.आ. 4181(अ), एतद् द्वारा, “अनंतराजपेट स्टेशन यार्ड में कि.मी. 182/19-21 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 88 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमय्या जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को का.आ. 4181(अ), एतद् द्वारा, “अनंतराजपेट स्टेशन यार्ड में कि.मी. 182/19-21 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 88 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।
3	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को का.आ. 4182(अ), एतद् द्वारा, “रेड्डीपल्ली-पुल्लमपेट के बीच कि.मी. 196/11-13 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 97 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमय्या जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को का.आ. 4182 (अ), एतद् द्वारा, “रेड्डीपल्ली-पुल्लमपेट के बीच कि.मी. 196/11-13 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 97 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. RSP/SC/Gazette/37A/TPTY/RU-GY/GTL/Corr/01]

मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर/सी/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

CORRIGENDUM

Secunderabad, the 17th February, 2026

S.O. 946(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Railways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 24th September 2024 vide S.O. 4180(E), S.O. 4181(E) and S.O. 4182(E) regarding “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossings in the District of Tirupati, in the State of Andhra Pradesh” the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

Sl.No.	Published as	To be read as
1	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 24th September 2024 vide S.O. 4180(E) of the RailwaysAct, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 85 at Km.178/7-9 between Koduru – Anantarajupet stations” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Annamayya for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 24th September 2024 vide S.O. 4180(E) of the RailwaysAct, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 85 at Km.178/7-9 between Koduru – Anantarajupet stations” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Tirupati for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 24th September 2024 vide S.O. 4181(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 88 at Km.182/19-21 at Anantarajupet yard" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Annamayya for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 24th September 2024 vide S.O. 4181(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 88 at Km.182/19-21 at Anantarajupet yard" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Tirupati for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
3	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 24th September 2024 vide S.O. 4182(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 97 at Km.196/11-13 between Reddipalli – Pullampet stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Annamayya for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 24th September 2024 vide S.O. 4182(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 97 at Km.196/11-13 between Reddipalli – Pullampet stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Tirupati for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. RSP/SC/Gazette/37A/TPTY/RU-GY/GTL/Corr/01]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP